कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण-कक्ष)
मध्य प्रदेश, भोपाल

क्रमांक/3/ 2521 भोपाल, दिनांक 7-10-98

पृ.क्र.-	
पिछला	अगला

प्रति,

समस्त वन मण्डलाधिकारी (सा.)
मध्यप्रदेश

विषय: विभिन्न अधिकारियों द्वारा बीट निरीक्षण ।
संदर्भ : म0प्र0शासन वन विभाग का आदेश क्रमांक/एफ-14/40/80/10-2 दि0 13-10-9

xxxx

कृपया संदर्भित शासनादेश का अवलोकन करें । उक्त आदेश में परिक्षेत्र अधिकारी से मण्डलाधिकारी स्तर के अधिकारियों द्वारा आंशिक बीट निरीक्षण किया जाना निर्देशित है । यह देखा गया है कि विभिन्न अधिकारी किसी बीट के अंतर्गत चल रहे कार्यों के निरीक्षण करने जाते है एवं उसी निरीक्षण को बीट निरीक्षण की संज्ञा दे देते है । उक्त शासनादेशो में आंशिक निरीक्षण का खुलासा नहीं है । प्रधान मुख्य वन-संरक्षक के निर्देशानुसार स्पष्ट किया जाता है कि आंशिक बीट निरीक्षण कम से कम एक कक्ष के समतुल्य ही माना जायेगा तथा जब भी अधिकारी आंशिक बीट निरीक्षण करे तो कम से कम एक पूरे कक्ष का निरीक्षण करें तथा निरीक्षण किये गये कक्ष एवं क्षेत्रफल का उल्लेख करते हुये दैनन्दिनी/प्रतिवेदन में विवरण दर्शाया करें ।

कृपया उप वन मण्डलाधिकारी एवं परिक्षेत्र अधिकारी को भी तदनुसार सूचित किया जायें ।

मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
म0प्र0भोपाल

पृ0क्र0/3/ 2522 भोपाल, दिनांक 7-10-98

प्रतिलिपि: समस्त वन संरक्षक म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
म0प्र0भोपाल